

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएस

प्रकरण सं० : 04/2020

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भागमल जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

:- वादी

व ना म

1 भागमल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र भागमल जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोरवामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं० 85/84 के खसरा सं० 77 की 0.657है०, खसरा सं० 81 की 12.862है०, खसरा सं० 82 की 1.657है०, खसरा सं० 93/2 की 1.694है०, खसरा सं० 228 की 3.212है० कुल 20.082है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं० 1 भागमल व प्रतिवादी सं० 2 सुरेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ



पंकरण सं० : 04/2020

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भागमल जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

:- वादी

ब ना म

- 1 भागमल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।
- 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र भागमल जाति जाट निवासी कणाऊ त० भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल: वादी

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 27-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं० 85/84 के खसरा सं० 77 की 0.657 है०, खसरा सं० 81 की 12.862 है०, खसरा सं० 82 की 1.657 है०, खसरा सं० 93/2 की 1.694 है०, खसरा सं० 228 की 3.212 है० कुल 20.082 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं० 1 के पिता मोटाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मोटाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 भागमल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू राजेन्द्र पुत्र भागमल जाति जाट निवासी कणाऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कणाऊ संवत 2072-75 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 2, सत्यप्रति पास बुक प्रदर्श 3, सत्यप्रति पास बुक प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

28  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक

राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर परसुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर गाम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमावंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 में वारिसप्रमाण पत्र में भागमल के दो पुत्र राजेन्द्र कुमार व सुरेन्द्र कुमार के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं० 85/84 के खसरा सं० 77 की 0.657है०, खसरा सं० 81 की 12.862है०, खसरा सं० 82 की 1.657है०, खसरा सं० 93/2 की 1.694है०, खसरा सं० 228 की 3.212है० कुल 20.082है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

### कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं० 85/84 के खसरा सं० 77 की 0.657है०, खसरा सं० 81 की 12.862है०, खसरा सं० 82 की 1.657है०, खसरा सं० 93/2 की 1.694है०, खसरा सं० 228 की 3.212है० कुल 20.082है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं० 1 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं० 1 भागमल व प्रतिवादी सं० 2 सुरेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़